




न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

शंकर लाल पुत्र सोमाराम सीथा, निवासी- गाडोली तहसील जहाजपुर, जिला शाहपुरा।	वनाम	कमलेश दधी पत्नी शिवराज सोना, निवासी- गाडोली तहसील जहाजपुर, जिला शाहपुरा वगैरा।
- प्रार्थी		- विपक्षी

प्रकरण संख्या 01/2023 निगरानी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय डॉनोशियरस जज	न्याय उ तपोख अहकाम ज डत हुकम को तानोल न जसो हुस
13.12.2023	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। प्रकरण पंजीबद्ध कर विपक्षी को नोटिस जारी करें। अर्थानस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया जावे। प्रकरण आयन्दा सुनवाई हेतु दिनांक 15.01.2024 को पेश करें।	
	 (टीकम चन्द्र बंधरा) जिला कलक्टर शाहपुरा।	
15.01.2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। निगरानी संख्या 01 एवं 03 की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द सिंह द्वारा अवर डेप्युटी लीगल। निगरानी इस अर्थात पर वावत, रिकॉर्ड तलब किए जावे हेतु पेश किया गया। खिल शानिप पत्रावली किया गया। पत्रावली नास्त आगामी सुनवाई दिनांक 02.02.2024 को पेश हो।	01 नंबर 19 उकी ओर Anand 02-01-2024 (अधिवक्ता) अरविन्द सिंह
	 जिला कलक्टर शाहपुरा	
02.02.24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी जो अन्वय देवेंद्र सिंह हैं अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 14.02.24 को पेश हो।	21/2/2024 अन्वय देवेंद्र सिंह पीठासीन अधिकारी शाहपुरा
	 जिला कलक्टर शाहपुरा	

तारीख हुगम	हुगम या कार्यवाही पर इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुगम की रीति में जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

14.02.24- पत्रावली पेश हुई उद्यम पत्र परिषद
 पीठारीग जिलाधी की हुगम 2024 में जारी
 हैं आता: पत्रावली आयका कार्यवाही के
 लिए दिनांक... 01.03.24..... को
 पेश हो।

शेखर
 जिला कलेक्टर
 शाहपुरा

20.03.24
 14.02.24

शेखर शेखर

01.03.2024 पत्रावली पेश हुई। उद्यमपत्र उपस्थित। निगरान्हाल द्वारा
 कार्यवाही पत्र आवत, उद्यम विज्ञापन जारी पेश किया।
 पत्रावली का अवलोकन किया जाने के उपरान्त पाया कि उक्त
 पत्र निगरान्हाल के इस्तासल पेश निगरानी के इस्तासल
 से मिलान नहीं हो रहा है अतः कार्यवाही पत्र आवत, उद्यम
 विज्ञापन जारी स्वीकार किया जाता है पत्रावली नास्त
 आगामी सुनवाई दिनांक 20.03.2024 को पेश है।

शेखर
 जिला कलेक्टर
 शाहपुरा

02
 20.03.2024 पत्रावली पेश हुई। उद्यमपत्र उपस्थित। निगरान्हाल द्वारा
 कार्यवाही पत्र आवत, उद्यम विज्ञापन जारी पेश किया।
 पत्रावली का अवलोकन किया। कार्यवाही पत्र पर इस्तासल
 का मिलान पेश निगरानी के इस्तासल से किया। अतः
 निगरान्हाल का कार्यवाही पत्र आवत, उद्यम विज्ञापन जारी
 स्वीकार किया जाउल निगरान्हाल की निगरानी अंगारि
 धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम इसी
 इला पर स्वीकार की जाती है। पत्रावली उक्त शुमार
 होकर नम्बर से उभर है।

शेखर
 20/3/24

जिला कलेक्टर
 शाहपुरा